न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2021/42

1. अशोक पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कल्याण पुत्र बाल्या
2. रामलाल पुत्र कल्याण
3. कैलाश पुत्र रामलाल
4. मोहनी पुत्र रामलाल
5. सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी नाडी का मोहल्ला, बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार उपतहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय   दिनांक: 25.04.2022

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468 कुल किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खाता संख्या नया 31 पुराना 260 के खसरा नंबर 927, 928, 934, 935, 936, 938, 939, 940 कुल किता 8 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 [illegible] नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज पिता व दा[illegible] के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित थी। [illegible] के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी [illegible] के दादा कल्याण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद चली आ[illegible]। और उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 4 अपने हिस्से पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

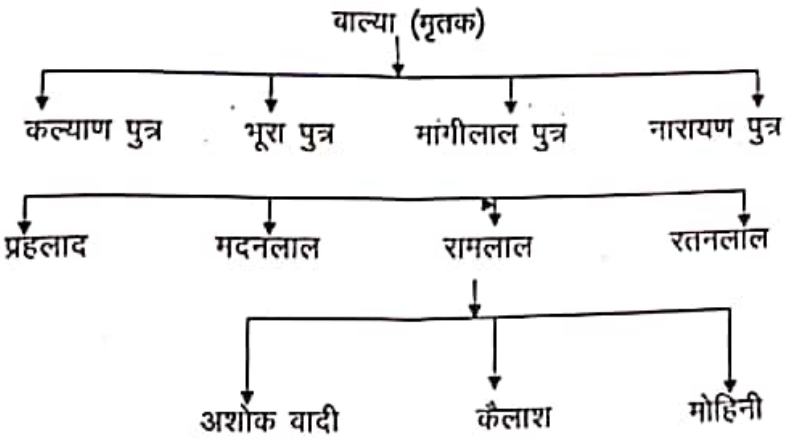

काविज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण का राजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 अपने अपने हिस्सो पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे थे और प्राकृतिक उपज का फायदा उठाते आ रहे है। वादी स्व0 बाल्या का पौत्र है जिसका की बाल्या की उक्त आराजी में जन्म से ही (बाई बर्थ) हक अधिकार निहित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दादा की सम्पत्ति में पौत्र का भी हक व अधिकार निहित है। इसलिये भी वादी को अपने दादा बाल्या की उक्त आराजी में हक व हिस्सा शुरू से ही निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण ने उक्त भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 5 को कर दिया। उक्त बैचान वादी के हक अधिकारो के प्रति शुरू से ही बलेदग बेअसर व शून्य है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। और ना ही उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का कभी कोई कब्जा काश्त ही नही रहा है। वादी दिनांक 26.02.2021 को अपनी कृषि भूमि की सार संभाल कर रहा था तभी प्रतिवादी संख्या 5 मौके पर अन्य आठ–दस व्यक्तियों के साथ आये और वादी से कहा कि यह जमीन तो आपके दादा कल्याण ने हमे बैचान कर दी है। आप उकत जमीन को खाली कर दो उक्त जमीन राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से दर्ज व अंकित चली आ रही है आप उक्त जमीन को तुरन्त प्रभाव से खाली कर दो, नही तो हम जबरन बाहुबल के आधार पर उक्त भूमि को खाली करवा कर उक्त भूमि को अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करेंगे और प्लाटिंग करेंगे। इस पर वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ और यह वाद बाबत् घोषणा माननीय [illegible] के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि [illegible] की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:42:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

1 में वर्णित भूमि में वादी को 1/60 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण को इस आशय की जारी फरमाई जावें वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेध रहें तथा किसी भी प्रकार कोई लेख्य पत्र तस्दीक एवं पंजीयन करने से निषेद्व रहें तथा वादी के कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत, गदाखलत करने से निषेद्व रहे तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्व रखे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायीं रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस एक माह बाद भी लौटकर प्राप्त नही होने पर तामील की प्रज्जमनरसन मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र अशोक पुत्र रामलाल जाति कुमावत निवासी दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का पेश किया गया। साक्ष्य के गवाह लेखबद्व किये गए।

बहस वादपत्र पर वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। बहस वादपत्र पर सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी साविक आराजी खसरा नंबर 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468 कुल किता 7 कुल रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल खाता संख्या नया 31 पुराना 260 के खसरा नंबर 927, 928, 934, 935, 936, 938, 939, 940 कुल किता 8 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर जो वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज पिता व दादा वाल्या के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित थी। वाल्या के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी [illegible] के दादा कल्याण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल[illegible] चली आ रही [illegible] वादी स्व0 कल्याण का पौत्र है जिसका की कल्याण की उक्त आराजी [illegible] से ही बाई वर्थ हक अधिकार है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधि[illegible]म के तहत वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2029 से 202, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 व वादी द्वारा वाद की मद संख्या 2 में वर्णित सजरा खानदान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी के पूर्वजो की सम्पत्ति है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादगस्त आराजी में वादी का बाई वर्थ हक अधिकार निहित है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादी को पैतृक वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खाता संख्या नया 31 पुराना 260 के खसरा नंबर 927, 928, 934, 935, 936, 938, 939, 940 कुल किता 8 कुल रकवा 2.47 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी को 1/60 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

अशोक बनाम कल्याण वगै.

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/42

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खाता संख्या नया 31 पुराना 260 के खसरा नंबर 927, 928, 934, 935, 936, 938, 939, 940 कुल किता 8 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर एवं हाल खाता संख्या 217 पुराना 257 के खसरा नंबर 758 रकबा 0.32 हैक्टेयर वाके ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी को 1/60 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल–दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....—.... मुवलिग ....—.... बाबत् ....—.... .... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह ....—.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.04.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....सहायक कलक्टर....
ओहदा ....जयपुर शहर द्वितीय....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:42:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner